आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Ministry of MSME

Procurement and Marketing Support (PMS) Scheme

पीएमएस योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों के जरिए नए खरीदारों तक पहुंचने में मदद करती है।

क्या मिल सकता है

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने, विक्रेता विकास कार्यक्रम, पैकेजिंग, बारकोडिंग और ई-कॉमर्स पर क्षमता निर्माण, और जीआई उत्पादों के खुदरा आउटलेट के लिए सहायता।

किसके लिए है

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यम, जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र है।

मुख्य शर्तें

- केवल उद्यम पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम पात्र हैं।
- घटक के अनुसार दस्तावेज थोड़े बदल सकते हैं: व्यापार मेला, विक्रेता विकास, क्षमता निर्माण या जीआई खुदरा आउटलेट।
- आवेदन डीसी (एमएसएमई) कार्यालय, एमएसएमई-डीआई या कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए जाते हैं।

आवेदन कैसे करें

1. अपनी जरूरत का घटक चुनें: व्यापार मेले, विक्रेता विकास, क्षमता निर्माण या जीआई खुदरा आउटलेट।
2. एमएसएमई पोर्टल पर या डीसी (एमएसएमई) कार्यालय के जरिए जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
3. जांच और मंजूरी के बाद आयोजन में भाग लें और लाभ जारी कराने के लिए भागीदारी का विवरण भेजें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://msme.goa.gov.in/home/Scheme-Details/Procurement-and-Marketing-Support-(PMS)-Scheme
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/msme-procurement-marketing-support-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।